संख्या- 16/141/30-3-15-4बी/2012टी0सी0

प्रेषक,

नर्वेद सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ दिनॉक 11 फरवरी, 2015

विषय - सारथी साफ्टवेयर आधारित स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस योजना के सम्बन्ध में वित्तीय वर्ष 2014-15 में परिवहन विभाग के कम्प्यूटरीकरण की योजना के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष में जारी वित्तीय स्वीकृति के अग्रिम आहरण की अनुमति प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-03(जी)कं0से0/2015-82कं0से0(सारथी बिल्स)/2013, दिनॉक 16.01.2015 के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में परिवहन विभाग की अनुदान संख्या-43 के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष में प्रावधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृतियॉ शासनादेश संख्या-51/1357/30-3-2014-31बी/2013, दिनॉक 28 जुलाई, 2014 द्वारा जारी करते हुए आपके निवर्तन पर रखी गयी हैं। आयोजनेत्तर पक्ष की उक्त वित्तीय स्वीकृतियों में लेखाशीर्ष-3055 के अन्तर्गत 46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर के क्रय की मद में प्रावधानित धनराशि रू0 17,47,00,000/- (रू0 सत्रह करोड़ सैंतालीस लाख मात्र) में स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की योजना की धनराशि भी सम्मिलित है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सारथी साफ्टवेयर आधारित स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की योजना के अन्तर्गत कार्यदायी संस्था नेशनल इन्फार्मेटिक्स सेन्टर सर्विसेज इनकार्पोरेटेड (निक्सी), नई दिल्ली को अनुबन्ध की शर्त के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2014-15 में इस हेतु प्रावधानित धनराशि में से वर्ष 2015 के प्रथम त्रैमास (जनवरी से मार्च, 2015) हेतु रू0 3,57,00,000.00 (रू0 तीन करोड़ सत्तावन लाख मात्र) का अग्रिम आहरण कर व्यय किए जाने की वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-ए-1-2774/दस-15-1(1)/69, दिनॉक 25-10-1983 एवं शासनादेश संख्या-ए-1-235/दस-2011-15-1(1)/69, दिनॉक 10-06-2011 में निहित शर्तों और प्रतिबन्धों के अधीन एतद्द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष-2014-15 में अनुदान संख्या-43 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-"3055-सडक परिवहन (आयोजनेत्तर)-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-अधिष्ठान व्यय-46-कम्प्यूटर हार्डवेयर /साफ्टवेयर का क्रय" के नामे डाला जायेगा।

2/-

http://shasanadesh.up.nic.in

4- स्वीकृत अग्रिम की सम्पूर्ण धनराशि का यथाशीघ्र समायोजन प्रथम त्रैमासान्त अर्थात दिनॉक **31.03.2015** तक सुनिश्चित करके शासन को अवगत कराया जाए।

5- पूर्व स्वीकृत अग्रिम धनराशि का समायोजन प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करते हुए उसका विवरण शासन को उपलब्ध कराया जाए।

6- यह आदेश वित्त विभाग की अशा0सं0-एफए-1-28/दस-2015, दिनॉक 11 फरवरी, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

ह0

(नर्वेद सिंह)

संयुक्त सचिव।

संख्या-16/141(1)/30-3-2015, तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय परिवहन आयुक्त, लखनऊ।
5- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
7- वित्त (लेखा) अनुभाग-1
8- नियोजन अनुभाग-4
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ह0

(नर्वेद सिंह)

संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in